Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का विश्लेषण

नवीन कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उत्तराखंड

डॉ. महेश मेवाफ्रोंश

शोध-निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड

सारांश

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां एक ओर दो प्रतिशत और भौगोलिक संरचना होने महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र हैं वहीं दूसरी ओर दूरस्थ और ग्रामीण पंचायतों की दुर्गमता भी कम नहीं है। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तथापि यह नागरिकों के अधिकारों को सशक्त बनाने के साथ-साथ शासन में नागरिकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत यह अधिनियम प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देता है तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन का विश्लेषण करते हुए इसके प्रभाव, सीमाओं और चुनौतियों का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन राज्य में प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर इसके प्रभावों का भी परीक्षण करता है। अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

मुख्य शब्द :सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन, उत्तराखंड

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। यह अधिनियम नागरिकों को शासन तथा उसके अंगों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत होती हैं। यह व्यवस्था न केवल शासन को उत्तरदायी बनाती है बल्कि नागरिकों को भी सशक्त बनाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। नहीं होने के कारण इन प्रयासों का प्रभाव सीमित रहता है। जब तक सूचना के अधिकार का व्यापक उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है और यह एक व्यवस्था मात्र रह जाएगा। सूचना के अधिकार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी के आधार पर नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों, रिपोर्टों तथा निर्णय प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।

वर्ष 2000 के दशक में उत्तर प्रदेश से पृथक होकर अस्तित्व में आया उत्तराखंड राज्य भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक पहुंच की कठिनाइयाँ, संचार व्यवस्था की कमी तथा संसाधनों की सीमितता जैसी समस्याएँ प्रमुख रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों तथा प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। यह अधिनियम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है बल्कि नागरिकों को भी शासन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।भारत में सूचना के अधिकार का विकास एक दीर्घकालिक संघर्ष का परिणाम है। प्रारंभिक दौर में प्रशासनिक गोपनीयता को बढ़ावा देने वाला Official Secrets Act, 1923 लागू था, जिसने सूचना तक पहुँच को सीमित कर दिया था। किंतु 1990 के दशक में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, विशेषकर मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों ने सूचना के अधिकार की आवश्यकता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। परिणामस्वरूप 2002 में 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम' पारित किया गया, जिसे बाद में अधिक प्रभावी रूप में 2005 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

21वीं सदी में, विशेषकर डिजिटल युग के आगमन के बाद, सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व और भी बढ़ गया है। आज सूचना केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल डाटा, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध हो रही है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सरकारी विभाग अपने अभिलेखों का डिजिटलीकरण करें और अधिकतम सूचनाएँ स्वप्रकाशित (Proactive Disclosure) करें, ताकि नागरिकों को बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता न पड़े।

हाल के वर्षों (2019–2026) में इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और चुनौतियाँ सामने आई हैं। वर्ष 2019 में किए गए संशोधन ने सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में ला दिया, जिससे इसकी स्वतंत्रता को लेकर बहस उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 तथा 2025 के नियमों के लागू होने से सूचना के अधिकार और निजता (Privacy) के बीच संतुलन का प्रश्न और जटिल हो गया है। विशेष रूप से धारा 8(1)(j) में संशोधन के कारण व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर सीमाएँ बढ़ी हैं, जिससे पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच नए विमर्श उत्पन्न हुए हैं।

यदि राज्य स्तर पर देखा जाए, तो उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन विशेष महत्व रखता है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ प्रशासनिक चुनौतियाँ—जैसे भौगोलिक दुर्गमता, सीमित संसाधन, और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना की कमी—अधिक हैं। ऐसे में RTI अधिनियम नागरिकों को सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम प्रदान करता है। राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह अपीलों और शिकायतों के निपटारे के माध्यम से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। उत्तराखंड में RTI का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे—मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन एवं पर्यावरण, तथा पंचायत स्तर के विकास कार्य। नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा RTI का उपयोग भ्रष्टाचार उजागर करने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने, तथा प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे—सूचना देने में देरी, अपूर्ण जानकारी, अधिकारियों की उदासीनता, तथा अपीलों का लंबित रहना।

वर्तमान समय (2026) में सूचना का अधिकार अधिनियम एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ इसे डिजिटल गवर्नेंस, डेटा प्रोटेक्शन, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ संतुलित करना आवश्यक हो गया है। हाल के वर्षों में सूचना आयोगों द्वारा मामलों के निस्तारण में सुधार और

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

तकनीकी उपयोग में वृद्धि देखी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। साथ ही, RTI के 20 वर्षों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि यह अधिनियम प्रशासनिक सुधारों और सुशासन का एक प्रभावी उपकरण है।

अत: यह शोध पत्र उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन, प्रभावशीलता, चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार RTI अधिनियम ने राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है, तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही, यह शोध वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय परिवर्तनों—विशेषकर डिजिटल डेटा संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों—के संदर्भ में RTI अधिनियम की प्रासंगिकता का भी मूल्यांकन करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य एवं लाभ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों तथा निर्णय प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। संबंधित सूचनाओं तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाता है। यह अधिनियम समाज के नागरिकों को सरकारी विभागों, सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे शासन में पारदर्शिता बढ़ती है। जब अधिकारी इस बात से जागरूक होते हैं कि उनके निर्णयों तथा कार्यों की जानकारी नागरिकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तब वे अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिक सहभागिता को भी बढ़ावा देता है। सूचना प्राप्त करने से नागरिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में जागरूक होते हैं तथा उनकी निगरानी भी कर सकते हैं। इससे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना प्राप्त करने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धारा 6 के अंतर्गत कोई भी नागरिक जनसूचना अधिकारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। धारा 7 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है। यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, तो 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। अधिनियम की धारा 19 अपील की प्रक्रिया से संबंधित है। यदि आवेदक को सूचना समय पर प्राप्त नहीं होती है या वह संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष तथा द्वितीय अपील राज्य या केंद्र सूचना

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह अधिनियम केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उसकी सुरक्षा हेतु प्रभावी तंत्र भी स्थापित करता है।

उत्तराखंड में RTI का संस्थागत ढांचा

उत्तराखंड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। राज्य सूचना आयोग, विभागीय जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी इस ढांचे के प्रमुख अंग हैं। किसी भी आवेदन की सफलता इसी संरचना की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से विषम राज्य के संदर्भ में यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां प्रशासनिक पहुंच और संसाधनों की उपलब्धता एक चुनौती बनी रहती है। राज्य में RTI अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना के अधिकार का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करना है। राज्य सूचना आयोग अधिनियम के अनुपालन की निगरानी करता है तथा समय-समय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग, जिला कार्यालय, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानों में जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार करने, संबंधित शाखाओं से सूचना संकलित करने और निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तराखंड में प्रशासनिक संरचना जिला और ब्लॉक स्तर तक विस्तारित है। RTI का संस्थागत ढांचा भी बहु-स्तरीय है। ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में भी सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे अधिनियम की पहुंच गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियां

उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के दौरान कई प्रकार की व्यावहारिक और संरचनात्मक चुनौतियां सामने आती हैं। यद्यपि अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न सामाजिक तथा प्रशासनिक स्तर पर बाधाएं विद्यमान हैं। यह एक पर्वतीय राज्य होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से जटिल है, जिससे सूचना तक पहुंच में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। संचार और परिवहन सुविधाओं की कमी प्रशासन के लिए चुनौती बनती है। कई स्थानों पर डिजिटल संरचना का अभाव भी देखा जाता है, जिससे सूचना के आदान-प्रदान में विलंब होता है। अनेक विभागों में रिकॉर्ड प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त कई बार अधिकारियों को

Cover Page
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अधिनियम के प्रावधानों का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, जिससे सूचना देने में अनावश्यक देरी या अस्पष्टता देखने को मिलती है। कुछ मामलों में सूचना को गोपनीय मानकर रोका जाता है, जबकि वह अधिनियम के अंतर्गत साझा की जा सकती है। नागरिकों में भी अधिनियम के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जाता है, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में। कई लोग अभी भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं।

अंततः शुल्क और अपील व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रियाएं भी कई बार जटिल प्रतीत होती हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए अधिनियम का उपयोग करना आसान नहीं रह जाता। अतः इन बाधाओं की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सुधार के सुझाव

उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनजागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। दूसरे, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे नागरिकों को समयबद्ध और स्पष्ट सूचना प्रदान कर सकें। इसके साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ और डिजिटल बनाया जाना चाहिए, जिससे सूचना के संग्रहण और वितरण में पारदर्शिता तथा गति आए।

तीसरे, सूचना आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क और अपील प्रक्रिया को भी सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के अपने अधिकार का उपयोग कर सकें।

चौथे, राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक सक्रिय तथा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए और आयोग की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

अंततः नागरिक समाज संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे जनजागरूकता बढ़ाने और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने तथा उन्हें शासन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। यद्यपि अधिनियम के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे भौगोलिक कठिनाइयां, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक बाधाएं और जागरूकता का अभाव, फिर भी इसके सकारात्मक प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता।

आवश्यक है कि सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर इन चुनौतियों का समाधान करें और अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाएं। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता को निरंतर बढ़ावा देना होगा। इस प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा को सशक्त करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से विषम एवं संवेदनशील राज्य में इस अधिनियम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ की पर्वतीय परिस्थितियाँ, सीमित संसाधन, तथा दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच की चुनौतियाँ इस बात की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करती हैं कि नागरिकों को सूचना तक सरल और समयबद्ध पहुंच उपलब्ध कराई जाए।

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि RTI अधिनियम ने राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसके पूर्ण प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभी भी कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के प्रति जागरूकता की कमी, डिजिटल विभाजन, तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता इसके उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा दे तथा ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाए। इसके साथ ही, सूचना अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों की

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

क्षमता का विकास किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को भी उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षिक संस्थानों, मीडिया तथा सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सूचना का अधिकार केवल सूचना प्राप्त करने तक सीमित न रहकर सुशासन की दिशा में एक सक्रिय साधन के रूप में कार्य करे। इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग सामाजिक उत्तरदायित्व, नीति निर्माण में सुधार तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए। जब नागरिक सक्रिय रूप से सूचना का उपयोग करेंगे, तभी इस अधिनियम की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उत्तराखंड में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यदि सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर इसके क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं, तो यह अधिनियम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, सी. (2012). सूचना का अधिकार: भारत में भ्रष्टाचार से मुकाबला करने का एक उपकरण। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, 3(2), 26–38।

2. बोरा, एस. के. (2013). सूचना का अधिकार अधिनियम: सुशासन की एक कुंजी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन, 2(2), 23–31।

3. चौधरी, ए. (2016). सूचना का अधिकार अधिनियम के समक्ष मुद्दे और चुनौतियाँ। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 62(2), 270–280।

4. केमुताई, डी. बी., पोल्लुरी, आर. एम., एवं मंगले, वी. एस. (2013). भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: एक केस अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 5(4), 295–303।

5. क्रेसवेल, जे. डब्ल्यू. (2003). अनुसंधान रूपरेखा: गुणात्मक, मात्रात्मक एवं मिश्रित विधियाँ। सेज पब्लिकेशन्स।

6. जस, पी. (2021). प्रशासन में नैतिकता सुनिश्चित करने में RTI की भूमिका: एक विश्लेषण। टर्किश ऑनलाइन जर्नल ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी (TOJQI), 12(3), 933–939।

7. धोलुंडियाल, बी. एस. (2005). RTI और सार्वजनिक हित। (जून)।

8. हेयर, जे., ब्लैक, डब्ल्यू., बाबिन, बी., एवं एंडरसन, आर. (2010). बहुविविध डेटा विश्लेषण: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य (7वाँ संस्करण)।

9. http://www.ukhfw.org. (2020). भौगोलिक स्थिति।

10. जैन, वी., एवं सराफ, एस. (2013). सूचना का अधिकार द्वारा जनता को सशक्त बनाना तथा उसका सुशासन पर प्रभाव।

11. जोशी, पी., सिंह, ए., एवं जोशी, जी. (2022). सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्गदर्शन (प्रथम संस्करण)। नई दिल्ली: तरुण पब्लिकेशन्स।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:4(3), April 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

12. कौर, एच. (2022). शासन में पारदर्शिता: भारत और नाइजीरिया में सूचना के अधिकार कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन। कश्मीर जर्नल ऑफ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, 7(4), 1282–1296।

13. मैडेन, ए. डी. (2000). सूचना की परिभाषा। Aslib Proceedings, 52(9), 343–349।

14. रंजीत, के. (2011). अनुसंधान पद्धति: शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका (तीसरा संस्करण)। लंदन, यूके: सेज।

15. शर्मा, एम. (2017). सूचना का अधिकार: अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन। उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून।

16. सिंह, एस. (2016). सूचना के अधिकार के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा: एक केस अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल फॉर इनोवेटिव रिसर्च इन मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड, 2(9), 190–194।

17. सिंह, एस., एवं खान, बी. (2021). “सूचना का अधिकार अधिनियम – सुशासन का एक उपकरण”। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी, 10(4), 273–287।